सं0- 80/2016/1867/62-2-2016-2/3(27)/2016

सेवा में,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना लघु सिंचाई कार्यो की संगणना हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र सं0-2551/ल0सिं0/बजट-प0सं0 संगणना/2015-16, दिनांक 23.6.2015 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना लघु सिंचाई कार्यो की संगणना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-689.44 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-233.00 लाख (रूपया दो करोड तैतीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय शासनादेश सं0-2061/62-2-2014-2/2(07)/2014, दिनांक 11.9.2014 द्वारा पंचम संगण्ना कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश तथा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापित व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अवमुक्त धनराशि को यथाशीध्र संबंधित खण्डीय अधिशासी अभियंता को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराने का प्रबन्ध करें।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

(7) प्रश्नगत वित्तीय हस्तपुस्तिका में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जा सके।

(8) अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय कदापि न किया जाय और व्यय प्रत्येक दशा में अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2- प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बजत का विवरण	15-10-2016 तक
3-व्ययाधिक्य तथा बजत का अंतिम विवरण	15-12-2016 तक
4- वर्ष 2016-17 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2017 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2017 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2017 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक **"2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-निजी लघु सिंचाई कार्यो की संगणना(के0-100/राज्य-00-के0)-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-80/2016/1867 (1)/62-2-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, (रिपोर्ट ब्रान्च्), उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4- निदेशक, सांख्यिकीय जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, बी-बिग, भूतल शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5- संयुक्त सचिव, (कमान), क्षेत्र विकास एवं लघु सिंचाई जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, भूतल शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।